

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बारां, (बारां)
ज़िला - बारां
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग /18133589087
दिनांक: 20-08-2018
आवेदक का आधार नम्बर: 770676398168
आवेदक / परिवार के मुखिया का भामासाह कार्ड संख्या: 9999-TC99-00067

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

- 01 श्री हितेश पोटर पुत्र/पुत्री श्री रामदयाल पोटर राजस्थान राज्य के जिला बारां पता- मेलखेडी छापरा, वार्ड नं. - 45, बारां के/की निवासी हैं तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते हैं।
- 02 उक्त श्री हितेश पोटर राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) आर.एण्ड पी. /एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत य अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 41 KUMHAR (PRAJAPATI) (41 कुम्हार (प्रजापति)) वर्ग/जाति के/की सदस्य हैं।
- 03 उक्त श्री हितेश पोटर आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के किमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प. 7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार किमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

नोट:

- 1: राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू./ई.वी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
- 2: उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
- 3: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात बिने के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
- 4: यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
- 5: प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION में Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या: 180138767046

*राज्य के पिछड़े वर्ग का जिला राजस्थान सरकार के जमीन संचयन विभागों और पट्टों तथा राज्य की वैयक्तिक सचिवानों में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बारां, बारां

Signature valid

Digitally signed by
SANTOSH KUMAR
MEE
Date: 2018.08.20 16:59:08
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan

